



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2059]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 5, 2010/आश्विन 13, 1932

No. 2059]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2010/ASVINA 13, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2010

का.आ. 2419(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है :-

- (i) श्री एम. एस. रेड्डी, विधायक
- (ii) श्री टी. नंदकुमार, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त)
- (iii) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) जे. के. बंसल, वी. एस. एम. चिकित्सा रत्न

[फा. सं. 44-12/2010-एन.डी.एम.-II]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2010

S.O. 2419(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of said Authority, namely :—

- (i) Shri M.S. Reddy, MLA
- (ii) Shri T. Nandakumar, IAS (Retd.)
- (iii) Maj. Gen. (Retd.) J.K. Bansal, VSM. Chikitsa Rattan

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.